82

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

अपील प्रकरण कमांक : 37-एक/2015 - विरूद्ध आदेश दिनांक 25-11-2014- पारित व्दारा - तहसीलदार ईसागढ़ जिला अशोकनगर - प्रकरण कमांक 36 अ-12/2013-14

जसबंत सिंह पुत्र हरनाम सिंह रघुवंशी
ग्राम चन्दनवेहटा
तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर -----आवेदक

विरूद्ध

मनीराम पुत्र छुट्टा ढीमर
ग्राम चन्दनवेहटा
तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री वृजेन्द्र सिंह धाकड़)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया)

आ दे श

;आज दिनांक08 - 03 -2018 को पारितद्ध

यह निगरानी तहसीलदार ईसागढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 36/13-14 अ-12 में पारित आदेश दिनांक 25-11-14 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार ईसागढ़ को आवेदन देकर उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 11/13 रकबा 0.105 हैक्टर, 123 रकबा 0.512 हैक्टर, 214/2 क रकबा 1.881 हैक्टर,214/3 ख रकबा 0.627 हैक्टर के सीमांकन की मांग की। तहसीलदार ईसागढ़ ने प्रकरण कमांक 36/13-14 अ-12 पॅजीबद्ध किया तथा अधीक्षक भू अभिलेख जिला अशोकनगर को सीमांकन हेतु पत्र दिनांक 7-6-13 जारी किया। हलका पटवारी एंव अन्य पटवारी ने दिनांक 15-6-14 को मौके पर जाकर सीमांकन किया तथा सीमांकन प्रतिवेदन तहसीलदार ईसागढ़ को प्रस्तुत किया। किये गये

सीमांकन पर आवेदक ने आपत्ति प्रस्तुत की। तहसीलदार ईसागढ़ ने आदेश दि. 25-11-14 पारित किया तथा सीमांकन को अंतिमता प्रदान की। तहसीलदार ईसागढ़ के इसी आदेश से के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में वर्णित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा तहसीलदार ईसागढ़ के प्रकरण क्रमांक 36/13-14 अ-12 का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि पटवारी व्दारा स्थल पर किये गये एकपक्षीय सीमांकन पर तहसीलदार ने विधिक प्रक्रिया का पालन किये बिना आदेश पारित किया है जब तहसीलदार के समक्ष आवेदक ने आपत्ति दर्ज की है कि सीमांकन कार्यवाही एकपक्षीय की गई है जबकि वह मेढ़िया कास्तकार है उसे सूचना तक नहीं दी गई है। तहसीलदार ने आपत्ति पर सुनवाई के लिये 30-7-13 की पेशी नियत की थी किन्तु इस दिन प्रकरण में सुनवाई नहीं की गई और आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही 25-11-14 को आदेश पारित किया गया है जो नियम विरूद्ध है। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने एंव तहसीलदार का आदेश दिनांक 25-11-14 निरस्त करने की मांग की।

अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि पटवारी ने सीमांकन के पूर्व सभी मेढ़िया कास्तकारों को सूचना दी है अनावेदक व्दारा जबरन आवेदक की भूमि दवाये रखी थी जिसे कारण सीमांकन कराया है । सीमांकित भूमि का मौके पर कब्जा दिया जा चुका हे एंव मुडिडयां गडवाई जा चुकी हे इसलिये तहसीलदार व्दारा पारित आदेश सही है।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख की विभिन्न आर्डरशीट के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार ने सीमांकन आवेदन आने पर दिनांक 1-6-13 को प्रकरण पॅजीबद्ध किया है तथा अधीक्षक भू अभिलेख से सीमांकन कराने हेतु आदेश जारी करने का निर्णय लिया है, जिस पर तहसीलदार ने अधीक्षक भू अभिलेख अशोकनगर को पत्र क्रमांक क्यू/रीडर/13 दिनांक 7-6-13 जारी किया है कि वह वाद विचारित भूमि का सीमांकन करें, किन्तु वाद विचारित भूमि का सीमांकन अधीक्षक भू अभिलेख अशोकनगर ने नहीं किया है अपितु दो पटवारियों ने सीमांकन किया है एंव कार्यालय पटवारी ह.नं. तहसील ईसागढ़ ने सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक निल तहसीलदार ईसागढ़ को प्रस्तुत किया है और यह पटवारी

किस हलके के हैं हलका नंबर पत्र में रिक्त छोड़ा गया है। स्पष्ट है कि तहसीलदार व्दारा अंतरिम आदेश दिनांक 1-6-13 से लिये गये निर्णय अनुसार अधीक्षक भू अभिलेख अशोकनगर से सीमांकन नहीं कराया गया है जबकि उक्तानुसार अंकित पटवारी को तहसीलदार व्दारा किसी प्रकार का सीमांकन करने हेतु पत्र जारी किया जाना प्रकरण में उपलब्ध नहीं है इस प्रकार तहसीलदार व्दारा की गई कार्यवाही भ्रामक स्थिति उत्पन्न करती है।

6/ तहसीलदार ईसागढ़ के प्रकरण क्रमांक 36/13-14 अ-12 के अवलोकन से परिलक्षित है कि आर्डरशीट दिनांक 1-6-13 में अधीक्षक भू अभिलेख अशोकनगर से सीमांकन कराने का निर्णय लेने के वाद आगामी पेशी नियत नहीं की गई है अपितु प्रकरण सीधे दिनांक 21-7-14 को लिया गया है जिसमें अंकित है कि **आपत्तिकर्ता जसबंत सिंह पुत्र हरनाम सिंह रघु. नि. चंदन वेहटा व्दारा आपत्ति प्रस्तुत। वास्ते जवाव हेतु - C.F. 30-7-14** इसके वाद 30-7-14 को प्रकरण नहीं लिया गया एंव आपत्ति पर उत्तर नहीं लिया गया तथा सीधे दिनांक 25-11-14 को अंतिम आदेश पारित कर दिया गया। इस प्रकार तहसीलदार ईसागढ़ व्दारा की गई कार्यवाही नियम एंव प्रकिया के विरूद्व है, जिसे स्थिर रखा जाना न्यायानुकूल नहीं माना जाना जावेगा।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार ईसागढ़ व्दारा प्रकरण क्रमांक 36/13-14 अ-12 में पारित आदेश दिनांक 25-11-14 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार ईसागढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि वाद विचारित भूमि का अधीक्षक भू अभिलेख अशोकनगर से ई.टी.एस.एम. से समस्त मेढ़िया कास्तकारों को सूचना देते हुये सीमांकन करायें तथा हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर